

राजस्थान-सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक :- एफ.4(ई) चवे 90/अलेसे-III/ 8253-8256 . दिनांक :- 2/8/2013

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.6 (2) (एफडी) (रूल्स) 98/दिनांक 17-02-1998 के अनुसरण में श्री कैलाश चन्द्र शर्मा (148/90) कनिष्ठ लेखाकार जिनकी कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति तिथि 21-06-1993 है। श्री शर्मा ने 9 वर्ष की निरन्तर सेवा दिनांक 21-06-2002 को पूर्ण कर ली है, अतः श्री शर्मा को दिनांक 21-06-2002 से कनिष्ठ लेखाकार के पद का प्रथम चयनित वेतनमान वेतन श्रृंखला (5500-175-9000) में स्वीकृत किया जाता है।

श्री शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प01 (20) वित्त/गुप-2/92 दिनांक 23-04-1994 में दी हुई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.7 (1) (डीओपी)/क-2/95 दिनांक 20-06-2001 के क्रम में सन्तान संबंधी घोषणा प्राप्ति एवं गत सात वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर प्रथम चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाता है।

श्री शर्मा का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 17-02-1998 के पैरा 10 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में की जावे।


निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई) चवे 90/अलेसे-III/ 8253-8256 . दिनांक :- 2/8/2013
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कार्यालय, उपकोष, तारानगर (चूरु)।
2. श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, क0लेखाकार कार्यालय उपकोष, तारानगर (चूरु)।
3. निजी सहायक निदेशक, महोदया।
4. उप निदेशक (एसीपी), वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
5. निजी/गार्ड फाईल।


अतिरिक्त निदेशक {कार्मिक-III}